PRESENDENT'S MESSAGE

साथियों,

आज जब हम राज्य में पेंशन बहाली के रुप में एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर चुके हैं तब आवश्यकता है इसे बचाए रखने के लिए संगठित रहने की। अब तक के अनुभव से यह समझ में आया की विरोध प्रदर्शन से बड़ी युक्ति होती है शक्ति प्रदर्शन। अभी कर्मचारियों के ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें एक बड़े स्तर से पहल किये जाने की आवश्यकता है। ज़रुरत है एक ऐसे विशाल मंच की जिसके परस्पर सहयोग भाव के साथ सभी सेवा एवं सभी संघों के लोग एक साथ चलें। इस दूरगामी लक्ष्य एवं पूर्वगामी अनुभव के आधार पर एक संगठन की परिकल्पना को साकार करने हेतु दिनांक–11.02.2023 को NMOPS, झारखण्ड द्वारा अपना **प्रथम प्रांतीय अधिवेशन** आयोजित किया गया। कर्मचारी आन्दोलन के फलक पर एक नये सूरज ने जन्म लिया है जिसका आदर्श वाक्य है : **संवाद** (सरकार से), **समन्वय** (सभी संघों के साथ) और **संघर्ष** (अपने सदस्यों के साथ मिलजुलकर)। अब हमने जान लिया है कि किसी योजना को इसके ध्येय तक कैसे ले जाना है, अब हम जानते हैं कि आन्दोलन में मुद्दा महत्वपूर्ण होता है चेहरा नहीं, अब हम जानते हैं कि एक सपने को सच कैसे किया जाता है और अब हम जानते हैं कि **कर्मचारी आन्दोलन कोई संघों की प्रतिस्पर्धा नहीं वरन सहबन्धुता है,** अब कर्मचारी एकता ने अपनी शक्ति का पहचान लिया है, अब हम सब मिलजुलकर एक नयी इबारत लिखेंगे।

इसी सोच के विस्तार के साथ राज्य के सभी जिलों में सघन सदस्यता अभियान चलाने के बाद सभी जिलों में नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अब आन्दोलन के सहभागी जो अबतक एक विचार क्रान्ति के झंडाबरदार थे अब उन्हें कर्मचारी एकता शक्ति, बिल्कुल नई एवं युवा सूझबूझ और प्रौढ़ हो चुके अनुभव के साथ महासंघ की सेना के मेजर–कर्नल के रुप में समान लक्ष्यों के भेदन हेतु अशोक चक्र की 24 तीलियों, दिन के 24 घंटों की तरह 24 अचूक पल्टन के रुप में तैनात रहना है और अपने सेवा दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर्मचारी हितों की रक्षा करनी है।

यह वह राज्य है जिसने धरती आबा बिरसा मुण्डा, सिन्धु, कान्हु, चान्द, भैरव जैसे रणबांकुरों के शौर्य से देश को सबसे शुरुआती स्वतन्त्रता आन्दोलन दिया था, जहाँ देश का पहला सबसे बड़ा कारखाना टाटा स्टील के रुप में शुरु हुआ, जहाँ जैन धर्म के सबसे ज़्यादा तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुए, जहाँ की गलियों से निकले एक टिकट कलेक्टर ने देश को 28 वर्षों बाद क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाया, उस राज्य की मिट्टी से निकली 24 टीमें राष्ट्रीय पटल पर अब एक नया इतिहास लिखेंगी। हम सिर्फ वही मांगें रखेंगे जो बहुत ज़रुरी एवं विधिसम्मत होंगी एवं जिनमें संघों की आपसी खींचतान नहीं होगी, हम हर उस अधिकार की रक्षा अपना पूरा दम लगाकर करेंगे जो हमें महासंघ की बड़ी मेहनत और सरकार से व्यवस्थित संवाद कर हासिल हुई है और हम अपने–अपने सेवा दायित्वों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे एवं राज्य और राज्य के लोगों के कल्याणार्थ अपनी पूरी शीलनिष्ठा के साथ कार्य करेंगे। **JHAROTEF के साथ हमसब हैं, ये हमारा महासंघ है और हमसब मिलकर इसे सुदृढ, सशक्त एवं सक्षम बनायेंगे। Yes we can and we will…..**

जय हिन्द,
जय झारखण्ड,

विक्रांत कुमार सिंह
प्रांतीय अध्यक्ष

प्राथमिक लक्ष्य (CHARTER OF DEMANDS)

01. अन्य राज्य कर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग को भी MACP लाभ दिलाना

- Modified Assured Career Progression (MACP) के तहत अपने सेवा में प्रोन्नति न हो पाने की स्थिति में वित्तिय लाभ देने हेतु 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरान्त इसका लाभ दिये जाने का प्रावधान है।
- वर्तमान में राज्य में यह सुविधा अधिकतर सेवी वर्गों को प्राप्त है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विद्यालयों के शिक्षकों को भी यह सुविधा प्राप्त है। किन्तु अन्य शिक्षक सम्वर्ग को न ही यह सुविधा प्राप्त है और न ही उनके पद सोपान में नियमित प्रोन्नति हो पाती है।
- ऐसी परिस्थिति में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान शिक्षक अपने ग्रेड वेतन में ही रह जाते हैं।
- MACP का लाभ मिलने पर कर्मी को उसके ग्रेड वेतन के तुरन्त बाद के ग्रेड वेतन में एक वेतन वृद्धि के साथ उन्नयित किया जाता है।
- उदाहरण के लिए मान लिजिए की कोई शिक्षकगण 4200 ग्रेड वेतन में बहाल होते हैं तो सातवां वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में उनका प्रारम्भिक मूल वेतन रू० 35,400.00/– होगा जो अगले 10 वर्षों में रू० 46,200.00/– हो जायेगा। अब सामान्यतया 11वें वर्ष में यह रू० 47,600.00/– होगा। किन्तु यदि उन्हें MACP का लाभ प्राप्त हो जाये तो एक वेतन वृद्धि के साथ 10वें वर्ष में ही अगले ग्रेड वेतन 4600 में उनका मूल वेतन रू० 47,600.00/– होगा।
- ऐसा ही 20वें एवं 30वें वर्ष की सेवा के सम्पूर्ण करने के उपरान्त होगा। अतः शिक्षक वर्ग को भी इससे आच्छादित किये जाने की आवश्यकता है।

02. सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 वर्ष किया जाना

- वर्तमान में राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष में दिये जाने का प्रावधान है।
- कुछ राज्यों में इसे 62 एवं 65 वर्ष भी किया गया है। कुछ सेवाओं में भी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक है।
- कई बार राज्य सरकार कुछ कर्मियों/पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी संविदा अथवा बाह्य स्रोत के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान करती है।
- यह पाया गया है कि वर्तमान में लोगों की जिजिविषा में बढ़त हुई है एवं वे ज़्यादा समय तक कार्य करने योग्य रहते हैं। कई लोग सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी कई अन्य कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखते हैं।
- इस प्रकार मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से सेवानिवृत्ति की उम्र में कुछ बढ़त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।
- इस हेतु 60 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त एक सामान्य क्षमता परीक्षण के माध्यम से सक्षम लोगों को 2 से 5 वर्षों का सेवा विस्तार दिया जा सकता है।

03. शिशु शिक्षण भत्ता (Child Education Allowance)

- वर्तमान में केन्द्र सरकार के कर्मियों को दो बच्चों के शिक्षण हेतु मासिक रू० 2250/– शिशु शिक्षण भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। दिव्यांग बच्चों के लिए यह राशि रू० 4500/– प्रतिमाह है।
- इसके साथ ही छात्रावास हेतु सब्सिडी के तौर पर अधिकतम रू० 6750/– मासिक दिये जाने का प्रावधान है किन्तु छात्रावास कर्मी के घर से 50 किमी से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।
- इसके लिए बच्चों की आयु सीमा 20 वर्ष अथवा 12वीं जो पहले हो तय की गई है। दिव्यांग बच्चों के लिए यह 22 वर्ष है। यह सुविधा नर्सरी से ही प्राप्त होती है।
- यह भत्ता सातवां वेतन आयोग द्वारा लागू है एवं 50 प्रतिशत से ऊपर मंहगाई भत्ता हो जाने पर इसमें भी 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जायेगी।
- राज्य कर्मियों को भी यह सुविधा प्राप्त होने पर अपने बच्चों की शिक्षा के खर्च के वहन में एक बड़ी राहत मिल सकती है।

04. NSDL में जमा NPS की राशि वापस लाना

- CPF से GPF में आने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी की मेहनत का पैसा वर्तमान में NPS Fund के रुप में NSDL में जमा है। इस Fund में सरकारी अंशदान भी शामिल है।
- चूँकी जो सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो चुके हैं उन्हें अपना पैसा NSDL में जमा रखने का कोई औचित्य नहीं है।
- सेवानिवृत्ति के समय लाभांश के साथ सरकारी अंशदान लौटाने पर ही पुरानी पेंशन प्राप्त हो सकेगी। अतः हमारा पैसा अभी ही अगर हमारे खाते में वापस आ जाये तो हम अभी ही सरकारी अंशदान लौटा कर भविष्य की देनदारी से मुक्त हो सकते हैं।
- इसके साथ ही हमारे अंशदान की एक मोटी रकम भी हमारे पास बच जायेगी जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता अथवा Financial Planning के हिसाब से कर सकते हैं।
- इसके लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाये जाने की ज़रुरत है जिसके लिए हम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ–साथ स्थानीय केन्द्र स्तर के जनप्रतिनिधियों (सांसदों) से अपील कर सकते हैं। साथ ही हम राज्य सरकार से भी इस हेतु प्रयास करने का अनुरोध कर सकते हैं।

05. राज्य प्रशासनिक सेवा के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में समस्त राज्य कर्मियों को अवसर दिलाना।

- राज्य में 6 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त राज्य के कई सम्वर्गों को राज्य प्रशासनिक सेवा एवं राज्य वित्त सेवा में जाने हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान है।
- पूर्व में राज्य के लगभग सभी संवर्ग के कर्मियों को इन परीक्षाओं में बैठने का अवसर प्रदान किया जाता था।
- वर्तमान में शिक्षक सम्वर्ग सहित कई संवर्ग के कर्मचारियों को इससे वंचित कर दिया गया है। अतः उन्हें भी यह अवसर दिलाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह परीक्षा प्रति वर्ष नियमित रूप से लिए जाने की आवश्यकता है।

06. विभिन्न विभागों के सेवा नियमावलियों में किये जा रहे अलाभकारी संशोधनों को रोकना

- वर्तमान में कई विभागों जैसे– जन सेवक, वनरक्षी, विद्युत कर्मी तथा अन्य सेवी संवर्गों के सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है इस दौरान इसके सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर अर्थात कर्मचारियों का मंतव्य भी नहीं लिया जाता है।

- इसका परिणाम यह होता है कि सेवा नियमावलियों मे कई बार गैर लाभकारी अथवा कर्मचारी विरोधी संशोधन कर दिये जाते हैं तथा मामला न्यायालय के शरण में पहुँच जाता है सिससे प्रोन्नति तथा नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब होता है।
- जनसेवक संवर्ग तथा अवर वन सेवा सम्वर्ग सहित कई संवर्गों का सेवा नियमावली में अलाभकारी संशोधन इसके ज्वलंत उदाहरण है।
- अतः किसी भी सम्वर्ग के सेवा नियमावली में संशोधनो से पूर्व उसके प्रतिनिधियों से मंतव्य आमंत्रित किया जाना चाहिये साथ ही गैर लाभकारी संशोधनो को रोका जाना चाहिये।

07. छोटे शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मियों को परिवहन भत्ता दिलाना

- वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा बड़े शहरों में पदस्थापित कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल पर आने जाने हेतु उनके वेतनमान के अनुरुप परिवहन भत्ता का प्रावधान है।
- छोटे शहरों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कार्यस्थल काफी दुर्गम स्थल पर या सूदूर होता है जहाँ तक जाने में कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- इसके कारण उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने घर से कार्यस्थल पर जाने अथवा कार्यस्थल के आसपास एक अस्थाई निवास में रहने में खर्च हो जाता है।

अतः बड़े शहरों की भांति उन्हें भी यात्रा भत्ता दिये जाने की आवश्यकता है।

08. 300 दिनों से अधिक अवकाश (EL) उपार्जित होने पर इसके उपभोग/Incashment की स्वीकृति

- साधारणतयः **प्रत्येक 11 दिनों** की सेवा पर एक दिन के अवकाश उपार्जित होने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में तकरीबन **33** उपार्जित अवकाश संचित हो जाते हैं।
- इस प्रकार केवल दस वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर ही 330 उपार्जित अवकाश संचित हो जाता है।
- किसी सरकारी कर्मी के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में उसके पास जितने दिनों का उपार्जित अवकाश **(अधिकतम 300 दिन)** संचित रहता है उतने दिनों के वेतन के समतुल्य राशि दिये जाने का प्रावधान है।
- किन्तु यदि 300 दिनों से अधिक जो भी उपार्जित अवकाश संचित होता है वह **व्यपगत (Lapse)** हो जाता है। यद्यपि कोई कर्मी यदि बीच–बीच में EL लेता रहता है तो वह 300 दिनों के आंकड़े को संतुलित रख सकता है।
- अधिकतर यह होता है कि सेवानिवृत्ति का समय आते–आते 300 से कम दिनों का ही उपार्जित अवकाश संचित रह पाता है, क्यूँकि बीच–बीच में अवकाश लेने पर यह घटता भी रहता है।
- यदि 300 दिनों से अधिक का अवकाश भी संचित ही रहे तो हमारे पास सेवानिवृत्ति के समय 300 दिनों का अवकाश संचित रह जायेगा जिसका की हम **Encashment** करवा सकते हैं। 300 से अधिकाय अवकाश का उपभोग हम अपने आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।

09. राज्य के सभी विभागों के लिपिक संवर्गों की सेवा नियमावली में एकरुपता लाना

- राज्य में सचिवालय, समाहरणालय एवं विभागों में लिपिक संवर्ग का पद सृजित है।
- जबकि सभी विभागों के लिपिकों का न्यूनतम योग्यता एवं कार्य की प्रकृति एक समान है, फिर भी अलग–अलग विभागों के लिपिकों के लिए अलग–अलग सेवा नियमावली निर्धारित है।
- सेवा नियमावली में भिन्नता होंने के कारण एक ही साथ अलग–अलग विभागों में सेवा में योगदान करने वाले दो अलग–अलग लिपिकों के वेतनमान एवं पदों में कुछ वर्षों के उपरांत काफी अंतर आ जाता है।
- सभी विभागों के लिपिकों के लिए भी एक समान सेवा नियमावली होनी चाहिए जिसमें पद सोपान भी हों ताकि प्रोन्नति का अवसर भी प्राप्त हो सके।

10. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को लिपिक सम्वर्ग में प्रोन्नति दिलाना

- वर्तमान में अधिकतर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अनुकम्पा के आधार पर बहाल होते हैं।
- उनमें से कई बाद में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की योग्यता भी प्राप्त कर लेते हैं साथ ही वे व्यवहारिक रुप में अपने कार्यालयों में लिपिकीय कार्य भी करते हैं किन्तु समुचित अवसर नहीं होने के कारण वे उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- वर्तमान में लिपिक संवर्ग के कुल पदों का 15 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के माध्यम से चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से भरे जाने का प्रावधान है परंतु यह परीक्षा नियमित रुप से नहीं हो पाती है।
- चूँकी जीवन में उन्नति सभी का अधिकार है अतः इसके समुचित अवसर होने चाहिए।
- जो भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखते हों उन्हें लिपिक सम्वर्ग में सीधी प्रोन्नति दी जानी चाहिए।

11. संविदा/आउटसोर्सिंग नियुक्ति तथा निजीकरण को रोकना

- राज्य में लगभग 6 लाख स्वीकृत स्थायी पदों के विरूद्ध मात्र 2 लाख स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। शेष पद या तो रिक्त है या उनपर संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मचारी कार्यरत हैं।
- संविदा आउटसेर्सिंग नियुक्ति को रोकने से सरकारी कार्यों की दक्षता एवं जवाबदेही में वृद्धि होगी तथा कर्मियों का शोषण बंद होगा।

JHAROTEF की उपलब्धियां

- अपने सतत संघर्ष एवं कुशल रणनीति के बदौलत सरकार के साथ संवाद समन्वय एवं संघर्ष के सिद्वांत पर कार्य करते हुए राज्य कर्मियों के लिए **पुरानी पेंशन बहाल कराया गया।**
- राज्य कर्मियों के लिए **कैशलेस मेडिकल** की सुविधा लागू करायी गई।
- योजना मद में कार्यरत उत्क्रमित विद्यालय एवं उर्दू शिक्षकों को **गैर योजना में स्थानांतरित** कराया गया।
- वर्ष 2004 से पूर्व के विज्ञापन के आधार पर नियुक्त कर्मियों को **बिना शर्त के पुरानी पेंशन** के अंतर्गत लाया गया।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत आनेवाले कर्मियों की मृत्यु होंने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन के साथ ही उनका **NPS में जमा राशि** भी उनके परिवार को वापस करने का प्रावधान लागू कराया गया।
- राज्य के महिला कर्मियों को कुल **730** दिनों **(दो वर्षों)** का ''**शिशु देखभाल अवकाश**'' लागु कराया गया।

JHAROTEF
संवाद, समन्वय और संघर्ष

झारखण्ड

JHAROTEF
संवाद, समन्वय और संघर्ष

JHARKHAND OFFICERS, TEACHERS & EMPLOYEES' FEDERATION

संवाद, समन्वय और संघर्ष

NMOPS, Jharkhand / JHAROTEF Camp Office संघ कार्यालय, ITI, हेहल, राँची, झारखण्ड, 834005
- Email- jharotef@gmail.com WhatsApp- 9931276719 Twitter- @jharotef
- YouTube- @nmopsjharkhand Facebook- facebook.com/jharotef